"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 मई 2026 — ज्येष्ठ 6, शक 1948

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26 मई 2026

आदेश

क्रमांक PLGMJ/349/2025-LABOUR.— छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ–52–42/तीन (एक)–18/पंचा.निर्वा./विविध/2024/463 दिनांक 11.05.2026 में उल्लेखित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ–54–1/तीन (दो)/न0पा0/समय अनुसूची/453 दिनांक 08.05.2026 के अनुसार नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन संपन्न कराने के लिये दिनांक 01.06.2026 दिन (सोमवार) को मतदान किया जाना निर्धारित है।

2/ अतः कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों /स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 01.06.2026 दिन (सोमवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है।

3/ ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02–02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी–बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कीर्तिवर्धन उपाध्याय, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.